ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती तृप्ता देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्रीमती सुमन देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	0.74
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	31.69
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	5.47
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि होना	0.84
5.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.51
6.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	3.65

7.	9	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित सामग्री मानदण्डों की अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना	0.17
8.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	0.16

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली का अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति	
1	3	अनिर्णित	
2	4	निर्णित	during special drive of Para settlement held w.e.f. 10 to 12.01.22 at DPO Kangra
3	5	अनिर्णित	
4	6	निर्णित	during special drive of Para settlement held w.e.f. 10 to 12.01.22 at DPO Kangra
5	7	अनिर्णित	
6	8	निर्णित	during special drive of Para settlement held w.e.f. 10 to 12.01.22 at DPO Kangra
7	9	अनिर्णित	
8	10	अनिर्णित	
9	11	अनिर्णित	
10	12	अनिर्णित	
11	13	अनिर्णित	
12	14	अनिर्णित	

13	15	अनिर्णित	
14	16	अनिर्णित	
15	17	अनिर्णित	
16	18	अनिर्णित	
17	19	अनिर्णित	

उपरोक्त तालिका अनुसार शेष पैरों की नवीनतम स्थिति से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जो कि अंकेक्षण के प्रति ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली की उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः शेष अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु नियमानुसार एवं अंकेक्षण सुझावानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाते हुये समर्थित सत्यापित अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.04.2024 से 06.04.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	11/2021	03/2022
2022-23	03/2023	03/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6400/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 06/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 08/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 09/2024 दिनांक 02.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2021-22	997.00	85584.00	86581.00	53368.20	33212.80
2022-23	33212.80	480979.27	514192.07	138636.00	375556.07

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	2217529.00	5280984.10	7498513.10	5126182.30	2372330.80
2022-23	2372330.80	4756810.64	7129141.44	3959851.44	3169290.00

कुल योग (1+2) = 375556.07 + 3169290.00 = **3544846.07**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹35,44,846.07** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹34,71,061.57 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.23 को
1	सभा निधि / SF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080147	370443.27
2	पाँचवां वित्त/5TH STATE	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394361	386160.00
3	विधायक निधि / VKVNY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213365	96184.00
4	SDP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060044762	96796.00
5	सांसद निधि /MP LADS	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213773	148952.00
6	मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना MMAY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213819	0.00
7	13वां वित्तायोग / 13FC	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394528	142311.00
8	14वां वित्तायोग / 14FC	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50063079453	0.00
9	15वां वित्तायोग / 15FC	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100366747625	2081444.30
10	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50058098371	117366.00

	/MMGPY			
11	IWMP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	5005792803	0.00
12	WDF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060664753	26310.00
13	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			5095.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग :			3471061.57
	दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-			₹35,44,846.07
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-			₹34,71,061.57
	अंतर :-			**₹73,784.50**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.74 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹73,784.50** की राशि का बैंक में कम जमा के रूप में अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अस्पष्टता की स्थिति में अन्तर की राशि को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का नियमित अद्यतन न करना तथा ऑनलाइन (Online) के साथ-साथ हस्तलिखित रोकड़ बहियों का अनुरक्षण करने में मानवश्रम को व्यर्थ गवाना/करना :-

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने, बहुमूल्य मानवश्रम की बचत करने तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "ई-ग्राम स्वराज" के नाम से राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल का संचालन किया जा रहा है जिसमें अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त पंचायत के आय व्यय का ऑनलाइन (Online) लेखांकन वर्चुअल रोकड़ बही में करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

अंकेक्षण में पाया गया है कि पंचायत द्वारा इस सुविधा का पूर्ण लाभ न उठाते हुये ऑनलाइन रोकड़ बही का निरन्तर अद्यतन नहीं किया जा रहा है जिस कारण सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करके चलाये जा रहे "ई-ग्राम स्वराज" पोर्टल को स्थापित करना ही निरुद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित रोकड़ बहियों को अनुरक्षित करने में व्यर्थ किये जा रहे बहुमूल्य मानवश्रम के कारण पंचायत की अन्य गतिविधियाँ भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप - 11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹31.69 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 09/2024 दिनांक 02.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 31,69,290.00** की राशि

उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹5.47 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 02.04.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 02/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ₹110 /- प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹5,47,250.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "घ"** पर संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। संपत्ति कर / गृहकर की नियमित वसूली न करने से

उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा एवं पंचायत राजस्व इसी तरह पर्याप्त कारणों के बिना (outstanding) रहता रहा तो एक समय पर इसकी उगाही करना असम्भव हो जायेगा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2021-22	₹ 4,67,500.00	850	₹ 110.00	₹ 93,500.00	₹ 5,61,000.00	₹ 0.00	₹ 5,61,000.00
2022-23	₹ 5,61,000.00	875	₹ 110.00	₹ 96,250.00	₹ 6,57,250.00	₹ 1,10,000.00	₹ 5,47,250.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.84 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू)

या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2022 व 03/2023 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹ 84,602.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹84,602.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके तदानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹1.51 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा

निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2022 व 03/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹1,51,275.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा बताया गया कि समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व अब नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये इस को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार राशि ₹3.65 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹3,64,669.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सम्पत्ति के दुरूपयोग एवं रिसन (leakage) की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि गलती से स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9. विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित सामग्री मानदण्डों की अपेक्षा राशि ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान बारे

9.1 निर्माण कार्य रास्ता इंटरलोक टाइल GHS से GPS नंदपुर भटोली तक में राशि ₹0.07 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान: --

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य रास्ता इंटरलोक टाइल GHS से GPS नंदपुर भटोली तक का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री सीमेंट की निष्पादित मात्रा निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, परिणाम स्वरूप राशि **₹7169.00** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ज "** पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम :	**निर्माण कार्य रास्ता इंटरलोक टाइल** GHS **से** GPS **नंदपुर भटोली तक**
कार्य स्वीकृति संख्या:	**MPR/2019/16 वर्ष 2019-20**
अनुदान शीर्ष:	**एम०पी०लेड०** (MPLAD)
कुल व्यय राशि :	**₹1,50,000.00**
एम० बी० संख्या / पृष्ठ संख्या	**27798 / 95** से 96

क्र०सं०	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निर्धारित मापदंडों अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि
1.	**सीमेंट**	**70** बैग	**70** बैग	**49** बैग	**21** बैग	**₹341.36**	**₹7169.00**
						कुल	**₹7169.00**

PL CC (1:3:6) 11.212 M^3 = 11.212 x 4.4 (Cement Factor) = 49.33 Bag

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि निर्माण कार्य के निष्पादन के आंकलन में हुई गलती को सुधार लिया जाएगा जिस कारण सीमेंट की अधिक खपत दिखाई गई व शीघ्र उचित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व दर्शाये गये अधिक व्यय को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 निर्माण संपर्क मार्ग गाँव घमिपुर वार्ड नं 1 में राशि ₹0.10 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान: -

अंकेक्षण के दौरान निर्माण संपर्क मार्ग गाँव घमिपुर वार्ड नं 1 तक का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री सीमेंट की निष्पादित मात्रा निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, परिणाम स्वरूप राशि **₹10,065.00** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "ज "** पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम :	**निर्माण कार्य रास्ता इंटरलोक टाइल** GHS **से** GPS **नंदपुर भटोली तक**
कार्य स्वीकृति संख्या:	**MPR/2016/22 वर्ष 2016-17**
अनुदान शीर्ष:	**एम०पी०लेड०** (MPLAD)
कुल व्यय राशि :	**₹2,50,000.00**
एम० बी० संख्या / पृष्ठ संख्या	**27798 / 20,21 व 24**

क्र० सं०	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निर्धारित मापदंडों अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि
1.	**सीमेंट**	**150** बैग	**150** बैग	**117** बैग	**33** बैग	**₹305.00**	**₹10,065.00**
						कुल	**₹10,065.00**

PL CC (1:5:10) 11.08 M^3 = 11.08 x 2.8 **(**Cement Factor**)** = 31.024 Bag

PL CC (1:3:6) 19.61 M^3 = 19.61 x 4.4 **(**Cement Factor**)** = 86.284 Bag

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि निर्माण कार्य के निष्पादन के आंकलन में हुई गलती को सुधार लिया जाएगा जिस कारण सीमेंट की अधिक खपत दिखाई गई व शीघ्र उचित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व दर्शाये गये अधिक व्यय को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में

नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था (उदाहरणार्थ ऊपर वर्णित **पैरा 9**) तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, परिणाम स्वरूप पैरा-9 के मामले प्रकाश में आये जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत सुधारात्मक अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.16 लाख की वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में APL परिवारों से ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- व BPL परिवारों से ₹25/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹50/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ऊपर वर्णित नियम के विपरीत ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी व विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि **₹16,200.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " झ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी व नियमानुसार कार्यवाही उपरांत शीघ्र ही विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।

अत : अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में विवाह पंजीकरण शुल्क संबंधी इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**फॉर्म संख्या**
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10
6.	तकनीकी जांच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31
7.	बजट प्राक्कलन	37	11
8.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
9.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-------
10.	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय / वेतन का रजिस्टर	----------	-----------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/नंदपुर भटोली दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 06.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

18 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

3458 – 3462 कार्य / 50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)186/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

कार्य / 50

परिशिष्ट :- "क"

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP NANDPUR BHATOLI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	997.00	85584.00	86581.00	53368.20	33212.80
2022-23	33212.80	480979.27	514192.07	138636.00	375556.07

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	2217529.00	5280984.10	7498513.10	5126182.30	2372330.80
2022-23	2372330.80	4756810.64	7129141.44	3959851.44	3169290.00

(राकेश कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. देहरा (कांगड़ा)

परिशिष्ट :- "ग"

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP NANDPUR BHATOLI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH STATE	2021-22	43025.00	453133.00	496158.00	292727.00	203431.00
		2022-23	203431.00	387281.00	590712.00	203922.00	386790.00
2	VKVNY	2021-22	75262.00	686918.00	762180.00	708444.00	53736.00
		2022-23	53736.00	104091.00	157827.00	61643.00	96184.00
3	SDP	2021-22	394357.00	674674.00	1069031.00	907551.20	161479.80
		2022-23	161479.80	203546.00	365025.80	268229.80	96796.00
4	MMAY	2021-22	9518.00	25795.00	35313.00	0.00	35313.00
		2022-23	35313.00	136.31	35449.31	35449.31	0.00
6	MPLAD	2021-22	228537.00	902700.00	1131237.00	917310.00	213927.00
		2022-23	213927.00	174538.00	388465.00	239513.00	148952.00
7	MMGPY	2021-22	135091.00	44122.00	179213.00	141899.00	37314.00
		2022-23	37314.00	190917.00	228231.00	110865.00	117366.00
8	IWMP	2021-22	59160.00	1342.00	60502.00	60502.00	0.00
		2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	WDF अंशदान	2021-22	24827.00	754.00	25581.00	0.00	25581.00
		2022-23	25581.00	729.00	26310.00	0.00	26310.00
10	13TH FC	2021-22	277570.00	259444.00	537014.00	372617.00	164397.00
		2022-23	164397.00	4689.00	169086.00	26775.00	142311.00
11	14TH FC	2021-22	384768.00	17339.00	402107.00	390230.00	11877.00
		2022-23	11877.00	366.33	12243.33	12243.33	0.00
12	15TH FC	2021-22	585414.00	982269.00	1567683.00	102408.00	1465275.00
		2022-23	1465275.00	1721004.00	3186279.00	1031698.00	2154581.00
13	MNREGA	2021-22	0.00	1232494.10	1232494.10	1232494.10	0.00
		2022-23	0.00	1969513.00	1969513.00	1969513.00	0.00

(परिशिष्ट "ग" "पैरा संख्या "4 ख" में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176033

ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली के दिनांक 31.03.2023 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2023	बैंक अंत शेष 31.03.2023	अंतर
1	सभा निधि / SF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080147	375556.07	370443.27	5112.80
2	पाँचवां वित्त/5TH STATE	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394361	386790.00	386160.00	630.00
3	विधायक निधि / VKVNY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213365	96184.00	96184.00	0.00
4	SDP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060044762	96796.00	96796.00	0.00
5	सांसद निधि /MP LADS	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213773	148952.00	148952.00	0.00
6	मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना MMAY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213819	0.00	0.00	0.00
7	13वां वित्तायोग / 13FC	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394528	142311.00	142311.00	0.00
8	14वां वित्तायोग / 14FC	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50063079453	0.00	0.00	0.00
9	15वां वित्तायोग / 15FC	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100366747625	2154581.00	2081444.30	73136.70
10	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना /MMGPY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50058098371	117366.00	117366.00	0.00
11	IWMP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	5005792803	0.00	0.00	0.00
12	WDF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060664753	26310.00	26310.00	0.00
			जोड़ (क)	3544846.07	3465966.57	78879.50
			हस्तगत शेष (ख)	0.00	5095.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	**3544846.07**	**3471061.57**	**73784.50**

दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	3544846.07
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-	3471061.57
अंतर :-	**73784.50**

(राजिन्द्र कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
तह. देहरा (कांगड़ा)

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 7 " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176033

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2021-22 में 805 तथा 2022-23 में 875 परिवारों का ₹110/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	₹ 4,67,500.00	850	₹ 110.00	₹ 93,500.00	₹ 5,61,000.00	₹ 0.00	₹ 5,61,000.00
2022-23	₹ 5,61,000.00	875	₹ 110.00	₹ 96,250.00	₹ 6,57,250.00	₹ 1,10,000.00	₹ 5,47,250.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹5,47,250/- है।						

राजेश कुमार
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
तह. देहरा (कांगड़ा)

परिशिष्ट " ड. "

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹0.23 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि
पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल सं० / दिनांक	मद का नाम	Qty. (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
		SDP								
1	Bhikham Singh	33 / 16-03-2022	70 / 21.10.2022	Sand	890	25.21	1.62	40.83	80	3266.4
				Agg.	485	13.74	1.52	20.88	80	1670.4
2	Jatinder Singh	34 / 21-10-2022	27 / 21.10.2022	Sand	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.2
				Agg.	900	25.49	1.52	28.74	80	2299.2
				Stone	225	6.37	2.24	14.27	80	1141.6
3	Nagni Mata Stone Crusher	35 / 16-03-2022	2052 / 10.02.2022	Sand	200	5.66	1.62	9.18	80	734.4
				Agg.	450	12.74	1.52	19.37	80	1549.6
4	Nagni Mata Stone Crusher	36 / 15-03-2022	2795 / 10.02.2022	Sand	250	7.08	1.62	11.47	80	917.6
				Agg.	77	2.18	1.52	3.31	80	264.8
5	Nagni Mata Stone Crusher	37 / 15-03-2022	2796 / 10.02.2022	Sand	223	6.32	1.62	10.23	80	818.4
				Agg.	77	2.18	1.52	3.31	80	264.8
6	Nagni Mata Stone Crusher	38 / 15-03-2022	2792 / 10.02.2022	Sand	215	6.09	1.62	9.86	80	788.8
				Agg.	60	1.70	1.52	2.58	80	206.4
		MPLAD								
7	Jatinder Singh	36 / 28.03.2022	12 / 15.05.2018	Stone	1100	31.15	2.24	69.78	80	5582.4
				Agg.	337.5	9.56	1.52	14.53	80	1162.4
8	Nagni Mata Stone Crusher	39 / 28.03.2022	534 / 18-05-2019	Agg.	300	8.50	1.52	12.91	80	1032.8
9	Nagni Mata Stone Crusher	40 / 28.03.2022	541 / 22-05-2022	Agg.	600	16.99	1.52	25.83	80	2066.4
10	Nagni Mata Stone Crusher	41 / 28.03.2022	535 / 18-05-2019	Agg.	300	8.50	1.52	12.91	80	1032.8
11	Nagni Mata Stone Crusher	42 / 28.03.2022	2063 / 13-02-2022	Sand	350	9.91	1.62	16.06	80	1284.8
				Agg.	650	18.41	1.52	27.98	80	2238.4
12	Nagni Mata Stone Crusher	43 / 28.03.2022	2064 / 13/02/2022	Sand	200	5.66	1.62	9.18	80	734.4
				Agg.	350	9.91	1.52	15.07	80	1205.6
		VKVNY								
13	Nagni Mata Stone Crusher	40/ 29.03.2022	2054 / 10-02-2022	Sand	270	7.65	1.62	12.39	80	991.2
				Agg.	380	10.76	1.52	16.36	80	1308.8
14	Nagni Mata Stone Crusher	41/ 29.03.2022	1763 / 06-10-2021	Sand	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.2
15	Nagni Mata Stone Crusher	42/ 29.03.2022	2062 / 13-02-2022	Sand	350	9.91	1.62	16.06	80	1284.8
				Agg.	650	18.41	1.52	27.98	80	2238.4
16	Nagni Mata Stone Crusher	43/ 29.03.2022	1768 / 06-10-2021	Agg.	600	16.99	1.52	25.83	80	2066.4
17	Nagni Mata Stone Crusher		1762 / 06-10-2021	Sand	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.2
18	Bhikham Singh	44/ 29.03.2022	69 / 10-02-2021	Sand	563	15.94	1.62	25.83	80	2066.4
				Agg.	937	26.54	1.52	40.34	80	3227.2
19	Jatinder Singh	45/ 29.03.2022	23 / 15-02-2021	Sand	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.2
				Agg.	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.6
		MMGPY								
20	Nagni Mata Stone Crusher	10/ 28.03.2022	2053 / 10.02.2022	Sand	250	7.08	1.62	11.47	80	917.6
				Agg.	350	9.91	1.52	15.07	80	1205.6
21	Nagni Mata Stone Crusher	12/ 28.03.2022	2055 / 10.02.2022	Sand	550	15.58	1.62	25.23	80	2018.4
				Agg.	780	22.09	1.52	22.58	80	1806.4
		15TH FC								
22	M/S Amit Gulerial Cont.	28/ 15.03.2023	342 / 09.03.2023	Sand	100	2.83	1.62	4.59	80	367.20
				Agg.	100	2.83	1.52	4.30	80	344.00
23	M/S Amit Gulerial Cont.	29/ 16.03.2023	344 / 09.03.2023	Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
				Agg.	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
24	M/S Amit Gulerial Cont.	30/ 16.03.2023	343 / 09.03.2023	Sand	300	8.50	1.62	13.76	80	1100.80
				Agg.	200	5.66	1.52	8.61	80	688.80
25	M/S Amit Gulerial Cont.	26/ 15.03.2023	341 / 09.03.2023	Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
				Agg.	800	22.66	1.52	34.44	80	2755.20
									TOTAL	67681.60
									25% Panelity	16920.40
									TOTAL	84602.00

Rajesh Singh
Tech Asstt
G.P. Nand pur Bhadoli

ग्राम पंचायत नन्दपुर
विकास

परिशिष्ट " च "

ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक की सूची पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

क्र०सं०	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	सामग्री विविरण	मात्र / दर	आपूर्तिकर्ता	राशि	टिप्पणी
			SDP				
1	27/ 10-03-2023	684 / 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
2	28/ 10-03-2023	683 / 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
3	29/ 10-03-2023	682/ 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
4	30/ 10-03-2023	683 / 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
5	33 / 16-03-2022	70 / 21-10-2022	Sand (Local)	890 / ₹16	Bhikham Singh	22000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			Agg.	485 / ₹16			
6	34 / 21-10-2022	27 / 21-10-2022	Sand	500 / ₹16	Jatinder Singh	26000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			Agg.	900 / ₹16			
			Stone	225 / ₹16			
7	40 / 15-03-2022	650 / 02-03-2022	Steel 12mm	94 Kg / ₹ 58	Maa Vaishno Enterprises	15475.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			Steel 10 mm	90 Kg / ₹ 60.40			
			Steel 08 mm	33 Kg / ₹ 62			
			MPLAD				
8	36 / 28-03-2022	12 / 15-05-2018	Stone	1100 / ₹ 16	Jatinder Singh	23000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			Agg.	337.5 / ₹ 16			
9	37 / 28-03-2023	855 / 15-01-2022	Pipe	Qty and Rate not mentioned	Pankaj Enterprises	7800.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
10	44 / 28-03-2022	69 / 10-02-2021	Sand	563 / ₹ 16	Bhikham Singh	24000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			Agg.	937 / ₹ 16			
11	45 / 28-03-2022	23 / 15-02-2021	Sand	500 / ₹ 16	Jatinder Singh	17000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			Agg.	400 / ₹ 16			
12	03 / 08-03-2022	5 /04-03-2022	Angle	179.831 Kg/ ₹ 80	Nitin Dhiman Welding Works	14000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
					TOTAL	151275.00	

Rajesh Singh
Tech Assistt
G. P. Nandpur Bhatoli

(राकेश कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
तह. देहरा (कांगड़ा)

परिशिष्ट "ट"

ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली द्वारा क्रय किये गये सामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

पैरा संख्या "8.3" के सन्दर्भ में

क्र०सं०	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	सामग्री विविरण	मात्र / दर	आपूर्तिकर्ता	राशि
SDP						
1	26 / 10-03-2023	116 / 15-02-2022	Interlock tiles 60mm	5000 / ₹ 9.90	M/s Himachal Traers	49500.00
2	25/ 10-03-2023	117 / 15-02-2022	Interlock tiles 60mm	4000 / ₹ 9.90	M/s Himachal Traers	39600.00
3		118 / 15-02-2022	Interlock tiles 60mm	500 / ₹ 9.90	M/s Himachal Traers	4950.00
4	27/ 10-03-2023	684 / 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00
5	28/ 10-03-2023	683 / 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00
6	29/ 10-03-2023	682/ 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00
7	30/ 10-03-2023	683 / 07-03-2022	Completion Board Writing	1 / ₹ 500.00	Jatinder Kumar Painter	500.00
8	33 / 16-03-2022	70 / 21-10-2022	Sand (Local)	890 / ₹16	Bhikham Singh	14240.00
			Agg.	485 / ₹16		7760.00
9	34 / 21-10-2022	27 / 21-10-2022	Sand	500 / ₹16	Jatinder Singh	8000.00
			Agg.	900 / ₹16		14400.00
			Stone	225 / ₹16		3600.00
10	36 / 15-03-2022	2795 / 10-02-2022	Sand	250 / ₹ 34	M/s Nagni Mata Stone crusher	10356.00
			Agg.	77 / ₹ 24		
11	37 / 15-03-2022	2796 / 10-02-2022	Sand	223 / ₹ 34	M/s Nagni Mata Stone crusher	9456.00
			Agg.	77 / ₹ 24		
12	38 / 15-03-2022	2792 / 10-02-2022	Sand	215 / ₹ 34	M/s Nagni Mata Stone crusher	9152.00
			Agg.	60 / ₹ 24		
13	40 / 15-03-2022	650 / 02-03-2022	Steel 12mm	94 Kg / ₹ 58	Maa Vaishno Enterprises	15475.00
			Steel 10 mm	90 Kg / ₹ 60.40		
			Steel 08 mm	33 Kg / ₹ 62		
14	20 / 15-05-2023	640 / 10-03-2023	Interlock tiles 60mm	2000 / ₹ 17	Pankaj Enterprises	34000.00
MPLAD						
15	36 / 28-03-2022	12 / 15-05-2018	Stone	1100 / ₹ 16	Jatinder Singh	23000.00
			Agg.	337.5 / ₹ 16		
16	37 / 28-03-2023	855 / 15-01-2022	Pipe	Qty and Rate not mentioned	Pankaj Enterprises	7800.00
17	39 / 28-03-2022	534 / 18-05-2019	Agg.	300 / ₹ 23	M/s Nagni Mata Stone crusher	3380.00
18	40 / 28-03-2022	541 / 22-05-2022	Sand	600 / ₹ 26	M/s Nagni Mata Stone crusher	18000.00
19	41 / 28-03-2022	535 / 18-05-2019	Agg.	300 / ₹ 23	M/s Nagni Mata Stone crusher	6000.00
20	42 / 28-03-2022	2062 / 13-02-2022	Sand	350 / ₹ 34	M/s Nagni Mata Stone crusher	29000.00
			Agg.	650 / ₹ 24		
21	44 / 28-03-2022	69 / 10-02-2021	Sand	563 / ₹ 16	Bhikham Singh	24000.00
			Agg.	937 / ₹ 16		
22	45 / 28-03-2022	23 / 15-02-2021	Sand	500 / ₹ 16	Jatinder Singh	17000.00
			Agg.	400 / ₹ 16		
23	03 / 08-03-2022	5 /04-03-2022	Angle	179.831 Kg/ ₹ 80	Nitin Dhiman Welding Works	14000.00
					TOTAL	**364669.00**

(राकेश कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
तह. देहरा (कांगड़ा)

परिशिष्ट-"ज" पैरा सं० "9.1 व 9.2" के संदर्भ में

निर्माण कार्य हेतु खरीदी गई समग्री के लिये **₹ 17234/-** का अधिक भुगतान करना

1. निर्माण रास्ता इंटेरलॉक टाइल GHS से GPS नंदपुर भटोली तक

कार्य स्वीकृति संख्या : **MPR/2019/16 वर्ष 2019-20** अनुदान : एम पी लेड

कुल व्यय राशि : 1,50,000 / - मापन का मुल्यांकन : 1,50,000 /-

एम० बी० संख्या : 27798 पृष्ट संख्या : 95 से 96

क्र०सं०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	वास्तविक निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशी
1	सीमेंट	70 बैग	70 बैग	49 बैग	21 बैग	341 .36	7169/-

PL CC (1:3:6) 11.212 M3 = 11.212 x 4.4 (Cement Factor) = 49.33 Bag

2. निर्माण संपर्क मार्ग, गाँव घमिपुर वार्ड न० 1

कार्य स्वीकृति संख्या : **MPR/2016/22 वर्ष 2016-17** अनुदान : एम पी लेड

कुल व्यय राशि : 250000.00 समग्री मापन का मुल्यांकन : 2,56,454/-

एम० बी० संख्या : 27798 पृष्ट संख्या : 20, 21 व 24

क्र०सं०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	वास्तविक निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशी
1	सीमेंट	150 बैग	150 बैग	117 बैग	33 बैग	305	10065/-

PL CC (1:5:10) 11.08 M^3 = 11.08 x 2.8 (Cement Factor) = 31.024 Bag
PL CC (1:3:6) 19.61M^3 = 19.61 x 4.4 (Cement Factor) = 86.284 Bag

(राकेश कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली
विकास खण्ड
तह. देहरा

Rajesh Singh
Tech Assistt
G.P. Nandpur Bhatoli

(परिशिष्ट "छ" पैरा संख्या "10.2" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176033

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना :-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	विशाल भारती	31.05.2021	22.06.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	सुनील कुमार	07.05.2021	22.06.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
3	पंकज कुमार	30.04.2021	22.06.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
4	रशपाल सिंह	01.07.2021	09.07.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
5	सुनीत सिंह	08.05.2021	09.07.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
6	सुन्नी कुमार	03.07.2021	28.07.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
7	पंकज कुमार	18.07.2021	04.08.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
8	विजय कुमार	29.07.2021	12.08.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
9	पंकेश कुमार	07.10.2021	12.10.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
10	जरनैल सिंह	08.10.2021	26.10.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
11	अमित कुमार	11.10.2021	28.10.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
12	अमित कुमार	14.10.2021	28.10.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
13	आशीष कुमार	31.05.2021	20.10.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
14	अक्षय कुमार	25.10.2021	08.11.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
15	अभिनव गुलेरिया	25.10.2021	09.11.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
16	वनेश वशिष्ट	11.10.2021	09.11.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
17	उमेश शर्मा	11.10.2021	15.11.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
18	नितिन धीमान	13.10.2021	15.11.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
19	रजनीश कुमार	07.11.2021	23.11.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
20	अंशुल कुमार	13.10.2021	25.11.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
21	सुशिल कुमार	22.11.2021	07.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
22	रजत गुलेरिया	07.10.2021	07.12.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
23	सुधीर कुमार	01.12.2021	21.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
24	शशिपाल	09.12.2021	01.01.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
25	पंकेश कुमार	11.12.2021	01.01.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
26	रोहित शर्मा	06.12.2021	05.01.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
27	अखिल भारती	05.02.2022	17.02.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
28	निखिल कुमार	05.02.2022	17.02.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
29	दोस्तवीर सिंह	05.02.2022	21.02.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
30	विरंदर चौधरी	05.02.2022	25.02.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
31	ओम प्रकाश	19.02.2022	07.03.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
32	अक्षय गुलेरिया	18.02.2022	10.03.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
33	रजत कुमार	19.02.2022	22.03.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
34	अखिल गुलेरिया	23.04.2022	19.05.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
35	विशाल कौंडल	18.10.2021	09.05.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
36	नवीन कुमार	16.05.2022	30.05.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
37	निखिल कुमार	11.05.2022	15.06.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
38	शामी भारती	13.05.2022	15.06.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
39	गुलाब सिंह	06.06.2022	23.06.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
40	अनुज कुमार	20.10.2021	23.06.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
41	जगवीर सिंह	22.06.2022	25.07.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
42	सुरजीत सिंह	19.07.2022	08.08.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
43	कुलभूषण	04.08.2022	15.08.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
44	अजय कुमार	04.08.2022	20.08.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
45	कमल सिंह	14.08.2022	06.09.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
46	सुनील कुमार	02.12.2022	14.12.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
47	नीरज	27.09.2022	27.12.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
48	विजय सिंह	08.12.2022	10.01.2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
49	राहुल रंधावा	04.12.2022	10.01.2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
50	सिद्धार्थ गोराया	14.12.2022	10.01.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
51	रवि कुमार	21.10.2022	10.01.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
52	विकास कुमार	01.11.2022	10.01.2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
53	तेजेंदर सिंह	10.12.2022	23.01.2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
54	अमित कुमार	23.05.2022	13.02.2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
55	रोहित	09.02.2023	26.02.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
56	मनिंदर सिंह	07.02.2023	28.02.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
57	अभिनाश कुमार	17.02.2023	13.03.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
58	सुशिल कुमार	21.02.2023	13.03.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
59	अभिनव गुलेरिया	17.02.2023	13.03.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
60	नितिन शर्मा	27.01.2023	14.02.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
61	नितीश अन्दोरिया	22.02.2023	14.03.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
			कुल योग	₹ 16,200.00	₹ 0.00	₹ 16,200.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
तह. देहरा (कांगड़ा)